बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 28.10.19

संख्या–7 / स्था0–05–01 / 2019सा0प्र0 14764 / भारत–संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2019

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।

   (2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 5क(3) का प्रतिस्थापन।**– नियम 5क(3) निम्नरूपेण पढ़ा जायेगा:–

   "प्रारम्भिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का अधिकतम 10 गुणन में परिवर्तित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जायेगा और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक के सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त होंगे।

   अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 45% होगा तथा आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अर्हतांक होंगे।"

3. अधिसूचना संख्या–4923 दिनांक 08.05.2008 द्वारा जोड़ा गया बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2008 का नियम 5क(3) को विलोपित किया जाता है।

4. अधिसूचना संख्या–17283 दिनांक 28.12.2016 द्वारा नियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित नियम 5 (परन्तुक) को विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
28.10.19
(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–05–01 / 2019सा0प्र0 14764 / पटना–15, दिनांक 28.10.19

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

28.10.19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–05–01 / 2019सा0प्र0 14764 / पटना–15, दिनांक 28.10.19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–13 दिनांक 24.10.2019 के प्रसंग में / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.10.19
सरकार के अवर सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/RULE, 1955 NOTIFICATION

Government of Bihar
General Administration Department

Notification

Patna-15, Date .2.8.10.19

No-7/Astha.-05-01/2019GAD ...14764..../In exercise of the powers conferred by Article 234 of Constitution of India the Governor of Bihar in consultation with High Court, Patna and Bihar Public Service Commission is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955:-

Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2019

1. **Short title and commencement.** –(1) This Rules may be called the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2019.

   (2) It shall come into force at once.

2. **Substitution of Rule 5A(3) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955.**- Existing Rule 5A(3) shall be subsititued by as here under:-

   "Eligible candidates for the written examination shall be selected on the basis of the result of the Preliminary Test, to the extent of such number of candidates available who obtain the minimum qualifying marks prescribed namely, a minimum of 45% marks for the unreserved category and 40% for the reserved category to a maximum of 10 times the number of available vacancies, and all candidates obtaining equal marks as the last candidate's shall also qualify for the written examination."

3. The provisio to the Rule 5A(3) added by the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2008 vide notification no.-4923 dated 08.05.2008 shall be deleted.

4. The proviso to the existing Rule 5 substituted Vide Rule 4 in notification no.-17283 dated 28.12.2016 shall be deleted.

By order of the Governor of Bihar

Sd/- 28.10.19

(Shiv Mahadev Prasad)

Under Secretary to the Govt.

Memo no.-7/Astha.-05-01/2019GAD ......14764......./Patna-15, dated...28.10.19..

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

Sd/- 28.10.19

Under Secretary to the Govt.

Memo no.-7/Astha.-05-01/2019GAD ....14764....../Patna-15, dated....28.10.19.

Copy forwarded to the Accountant General, Bihar, Patna/ Registrar General, High Court, Patna/Principal Secretary, Cabinet secretariat with reference to Cabinet item no.-13 dated 24.10.2019/Secretary, Law Department, Bihar/B.P.S.C., Patna/All District & Session Judges/All Departments/All Head of Departments and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

Sd/- 28.10.19

Under Secretary to the Govt.